न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील 36/16 तारीख रजू– 10/02/16

1– कैलाश पुत्र गणेश जाति रैगर निवासी उमरी तहसील गंगापुर सिटी।
2– प्रहलाद पुत्र गणेश जाति रैगर निवासी उमरी तहसील गंगापुर सिटी।
3– रवीना पुत्री स्व0 बच्चूसिंह जरिये संरक्षक मॉ फोरन्ती बेबा बच्चू नि0 उमरी।
4– स्वाती पुत्री स्व0 बच्चूसिंह जरिये संरक्षक मॉ फोरन्ती बेबा बच्चू नि0 उमरी।
5– आदित्य पुत्र स्व0 बच्चूसिंह जरिये संरक्षक मॉ फोरन्ती बेबा बच्चू नि0 उमरी।
6– फोरन्ती बेबा बच्चू जाति रेगर निवासी उमरी तहसील गंगापुर सिटी।
7– फूलवती पुत्री गणेश पत्नि शेखरचन्द्र जाति रेगर नि0 नई बस्ती पढाना तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
8– रामपति बेबा गणेश जाति रेगर निवासी उमरी तहसील गंगापुर सिटी।
9– शीला पुत्री गणेश पत्नि प्रेमराज जाति रेगर निवासी पिपलाई तह0 बामनवास।
10– समीता बाई पुत्री गणेश जाति रेगर नि0 उमरी तहसील गंगापुर सिटी।
11– रामनरी पुत्री गणेश जाति रेगर नि0 उमरी तह0 गंगापुर सिटी।

-----अपीलान्ट

बनाम

1– छीतरया पुत्र डाल्या जाति रेगर निवासी उमरी तहसील गंगापुर सिटी।
2– हजारी पुत्र डाल्या जाति रेगर निवासी उमरी तहसील गंगापुर सिटी।
3– भरोसी पुत्र डाल्या जाति रेगर निवासी उमरी तहसील गंगापुर सिटी।

–रेस्पोडेन्स्

निर्णय दिनांक– 27.12.17

प्रार्थीगण ने यह अपील तहसीलदार गंगापुर सिटी के मु0नं0 1/14 में पारित निर्णय दिनांक 28/12/2015 मुकदमा उनवानी कैलाश वगै0 बनाम छीतरया वगै0 अर्न्तगत आदेश 23 नियम 3(ए) के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, साथ ही अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28/12/2015 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्स् की तलबी जरिये सम्मन की गई । रेस्पोडेन्स् मय वकील उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3(ए) सी0पी0सी0 के

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

तहत तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थीगण के पिता गणेश एवं रेस्पोडेन्टान की सहखातेदारी की भूमि हाल खं0नं0 444 रकबा 0.14, 452 रकबा 0.13 है0, 690 रकबा 0.03है0, 691 रकबा 1.54है0, 692 रकबा 0.27है0, 752 रकबा 0.94है0, 751 रकबा 0.36है0, 752 रकबा 0.61 है0, 1020 रकबा 0.31है0, 1026 रकबा 0.30है0, 1048 रकबा 0.57है0, 1057 रकबा 1.56है0 कुल किता 12 कुल रकबा 6.76 है0 तथा खं0नं0 440 रकबा 0.12है0, 441 रकबा 0.21है0, 448 रकबा 0.13है0, 449 रकबा 0.25है0,457 रकबा 0.20है0,458 रकबा 0.15है0, 460रकबा 0.15है0,463 रकबा 0.20है0 कुल किता 8 रकबा 1.41 है0 में से 1/6 हिस्सा अपीलार्थीगण के पिता गणेश के नाम दर्ज है तथा रेस्पों0 द्वारा धारा 53(2) के तहत अदालत मातहत तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष सहमति के बंटवारे के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलार्थीगण के पिता गणेश अनपढ व्यक्ति था उनको धोखा देकर उनकी सहखातेदारी में तथा उनके हिस्से में से करीब 3 बीधा भूमि कम दर्ज कर सहमति से बंटवारा कर दिया जिसकी अपीलार्थीगण के पिता को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलार्थीगण के पिता के मरने के बाद रेस्पोडेन्टान द्वारा दिनांक 01/01/14 को अपीलार्थी की 3 बीधा भूमि से बेदखल करने की धमकी दी, तब जाकर अपीलार्थीगण को अदालत मातहत के गलत निर्णय की जानकारी हुयी। अदालत मातहत के उक्त गलत निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा आदेश 23 नियम 3(ए) के तहत अदालत मातहत में यह प्रार्थना पत्र पेश किया। अदालत मातहत ने सहमति से गलत बटवारा करवा दिया है, इसलिए उक्त सहमति की डिकी को निरस्त किया जाकर हिस्से अनुसार पुनः विभागजन किया जावे। लेकिन अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 28/12/15 में यह मानकर कि आदेश 23 नियम 3(ए) ना तो डिकी के पुर्नावलोकन की तारीफ में आता है और ना ही अपील व वाद की श्रेणी में आता है। तथा अदालत मातहत को उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानों का गलत रूप से विवेचनाकर प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 (ए) खारिज करने में कानूनी भूल की है, जबकि आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रावधान केवल वाद पत्र पर ही लागू होता है ना कि प्रार्थना पत्र पर लागू होता है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28/12/2015 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलान्ट द्वारा प्रशासन गांवों के संग राजस्व अभियान उमरी मे वर्ष 2001 में सहमति से किये गये बटवारे को निरस्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि अपीलान्ट उक्त बटवारे की कार्यवाही में पक्षकार नहीं रहे है तृतीय पक्षकार है इस कारण अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र दायरी का अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलान्ट को उक्त आदेश के विरूद्ध धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28/12/2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का आर्डर 7 नियम 11,141,151 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र. खारिज फरमाया है इस कारण माननीय न्यायालय को हस्तगत अपील में मात्र यह देखना है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने का अधिकार है या नही व अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में क्या विधिक भूल की है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय में बटवारा दिनांक 09/01/2002 व एल0आर0 क्रमांक 2750 को

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निरस्त करने व भूमि का विभाजन करने का आदेश जारी करने का अनुतोष चाहा गया है। उक्त अपील में अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष चस्पा नहीं होता है। विभाजन होने के बाद मृतक गणेश ने जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग किया है। मिथ्या बाबत् कोई सबूत नहीं है। विभाजन राजस्व अभियान में सबके सामने हुआ है साथ ही रेस्पोडेन्ट वकील ने अपील अपीलान्ट अस्वीकार किया जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28/12/2015 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त अपील न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी के मु0नं0 1/14 उनवानी कैलाश वगै0 बनाम छीतरया अर्न्तगत आदेश 23 नियम 3(ए) सी0पी0सी0 में पारित निर्णय दिनांक 28/12/2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। सी0पी0सी0 आदेश 23 नियम 3(ए) में स्पष्ट अंकित है कि कोई डिकी अपास्त करने के लिए कोई वाद इस आधार पर नहीं लाया जाएगा कि वह समझौता है। जिस पर डिकी आधारित है, विधिपूर्ण नहीं था। यहॉ मैं अवलोकन करना चाहूंगा कि अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में वाद पत्र प्रस्तुत ना कर विविध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः मेरे अभिमत में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर , अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/12/2015 निरस्त किया जाता है, साथ ही अदालत मातहत को पत्रावली प्रति प्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को वाद पत्र न मानकर प्रार्थना पत्र ही माना जाकर एवं उभय पक्ष को सुना जाकर विधिवत् पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.12.17 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर